रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2012/फाल्गुन 19, 1933
No. 61] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2012/PHALGUNA 19, 1933

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2012

दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तृतीय संशोधन) विनियम, 2012
(2012 का 6)

सं.-308-05/2011-सेवा गुणवत्ता.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 (1997 का 24 वां) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 (2012 का 2) में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तृतीय संशोधन) विनियम, 2012" कहा जाएगा।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 के विनियम 2 (इसके पश्चात् इन्हें मूल विनियम कहा गया है) में खंड (फ) के बाद निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किए जाते हैं, नामत्:—

'(फक) "यूएसएसडी" या "असंरचित पूरक सेवा डाटा" से आशय रियल टाइम या तत्काल सत्र आधारित संदेश सेवा से है।'

3. मूल विनियमों 3 के उप-विनियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किए जाते हैं, नामत: :—

"बशर्ते कि सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ता को स्टार्ट अप किट के भाग के रूप में प्रशुल्क प्लान उपलब्ध काराया जाए तथा इस प्रकार के प्रशुल्क प्लान, उपभोक्ताओं द्वारा प्लान वाउचर सक्रिय करने पर समाप्त हो जाएंगे"।

4. मूल विनियमों के विनियम 7 में "एसएमएस के माध्यम से प्रदान करेगा" शब्दों के बाद" या यूएसएसडी" शब्द अन्त:स्थापित किया जाएगा।

राजीव अग्रवाल, सचिव
[विज्ञापन III/4/142/11/असा.]

टिप्पणी 1:—मूल विनियम अधिसूचना संख्या 308-05/2011-क्यूओएस, दिनांक 6 जनवरी, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 6 जनवरी, 2012 को प्रकाशित किए गए।

टिप्पणी 2:—मूल विनियम अधिसूचना संख्या 308-05/2011-क्यूओएस, दिनांक 11 जनवरी, 2012 के तहत संशोधित किए गए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए ।

टिप्पणी 3 —मूल विनियम अधिसूचना संख्या 308-05/2011-क्यूओएस, दिनांक 21 फरवरी, 2012 के तहत संशोधित किए गए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए ।

टिप्पणी 4:—व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तृतीय संशोधन) विनियम, 2012 (2012 का 6) के उद्देश्यों एवं कारणों की व्याख्या दी गई है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्रस्तावित किए जाने वाले प्रशुल्कों में पारदर्शिता लाने, उपभोक्ताओं को प्रस्तावित विभिन्न प्रशुल्क प्लानों एवं वाउचरों को समझने में सहायता प्रदान करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2012 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 (2012 का 2) जारी किया गया । इन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (2) में यह प्रावधान किया गया है कि स्टार्ट अप किट में प्लान वाउचर या विशेष प्रशुल्क वाउचर नहीं होगा। प्राधिकरण को सेवा प्रदाता संघों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि कुछ सेवा प्रदाताओं की सक्रियण किट के भाग के रूप में मूल प्रशुल्क प्लान को शामिल करने की प्रथा है तथा इस प्रकार की प्रथा को प्रतिबंधित करने से इस प्रकार के सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी असुविधा होगी। चूंकि स्टार्ट अप किट में मूल प्रशुल्क प्लान को शामिल करने से, प्रस्तावित किए जा रहे प्रशुल्क की पारदर्शिता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्राधिकरण द्वारा स्टार्ट अप किट (एसयूके) के भाग के रूप में प्रशुल्क प्लान को शामिल करने की अनुमति दी गई है। तथापि, इस प्रकार के प्रशुल्क प्लान, उपभोक्ता द्वारा प्लान वाउचर के सक्रियण करने पर समाप्त हो जाएंगे।

2. सेवा प्रदाता संघों द्वारा यह मुद्दा भी उठाया गया कि प्रत्येक कॉल या डाटा उपयोग के उपरांत केवल एसएमएस के माध्यम से सूचना देना के प्रावधान से भी उपभोक्ताओं को असुविधा पहुंचेगी क्योंकि उन्हें इस प्रकार के संदेशों को प्राप्त करने के लिए मोबाइल हैंडसेट में पर्याप्त मेमोरी रखने के लिए, इस प्रकार के संदेशों को हटाना होगा। मोबाइल हैंडसेट में अपर्याप्त मेमोरी होने के कारण, इस प्रकार के संदेश प्राप्त न होने से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं। अत: उद्योग संघों द्वारा अनुरोध किया गया कि इस प्रकार की सूचना प्रदान करने के लिए यूएसएसडी की अनुमति भी दी जाए। अत:, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक कॉल एवं डाटा उपयोग के उपरांत, उपभोक्ताओं को एसएमएस के साथ यूएसएसडी के माध्यम से भी सूचना प्रदान करने की अनुमति दी जाए। तद्नुसार, विनियम 7 में प्रावधान किया गया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2012

TELECOM CONSUMERS PROTECTION (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2012 (6 OF 2012)

F. No. 308-5/2011-QoS.—In exercise of the powers conferred under Section 36, read with sub-clauses (i) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 (2 of 2012), namely :—

1. (1) These regulations may be called the Telecom Consumers Protection (Third Amendment) Regulations, 2012;

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 (hereinafter referred to as the principal regulations), after clause (t) the following clause shall be inserted, namely:—

"(ta) "USSD" or "Unstructured Supplementary Service Data" means a real-time or instant session based messaging services."

3. In sub-regulation (2) of regulation 3 of the principal regulations, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the service provider may provide to a consumer a tariff plan as part of the Start-Up Kit and such tariff plan shall cease to apply to such consumer on activation of a Plan Voucher."

4. In regulation 7 of the principal regulations, after the words "provide through SMS", the words "or USSD" shall be inserted.

RAJEEV AGRAWAL, Secy.

[ADVT. III/4/142/11/Exty.]

Note. 1.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 6th January, 2012 *vide* notification No. 308-5/2011- QOS, dated the 6th January, 2012.

Note. 2.—The principal regulations were amended *vide* Notification No.308-5/2011- QOS, and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th January, 2012.

Note. 3.—The principal regulations were further amended *vide* Notification No. 308-5/2011- QOS, and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 21st February, 2012.

Note. 4.—The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecom Consumers Protection (Third Amendment) Regulations, 2012 (6 of 2012).

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 (2 of 2012) on 6th January, 2012 to bring in transparency in tariff offerings, help consumers in understanding the various tariff plans and vouchers on offer. In sub-regulation (2) of regulation 3 of these regulations, it has been provided that the Start-up Kit shall not contain Plan Voucher or Special Tariff Voucher. The Authority has received representations from service providers' associations that it has been the practice of some of the service providers to include base tariff plan as part of the activation kit, and restricting such practice would inconvenience such service providers as well as the consumers. Since inclusion of a base plan in the start-up kit will not affect transparency in tariff offering, the Authority has allowed that tariff plan may be included as a part of the start-up kit (SUK). However, such tariff plan will cease to apply to a consumer upon activation of a Plan Voucher.

2. The service providers' associations also pointed out that provision of information only through SMS, after every call or data usage, could inconvenience the consumers as they have to delete such messages so as to provide for sufficient memory in the mobile handset for receiving such messages. There could also be issues relating to non-receipt of messages on account of lack of memory in the mobile handset. The industry associations have therefore requested that USSD may also be allowed for providing such information. Hence, the Authority has decided to allow USSD along with SMS for provision of information to consumers after every call and data usage Accordingly, provisions have been made in regulation 7.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.